

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में टैक्सी (काली और पीली छत) चालकों के लिए किराये की दरें :—

1. टैक्सी (काली और पीली छत) : 13/- रुपये प्रथम कि. मी. के लिये (मीटर शुरू होने पर) उसके बाद 7/- रुपये अतिरिक्त प्रति कि. मी. के लिये।
2. रात्रि किराया : किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक)।
3. प्रतिक्षा किराया : 20/- रुपये प्रति घंटा (कम से कम 15 मिनट रुकने पर)
4. सामान किराया : 10/- रुपये प्रति नग, छोटे थैले और छोटे ब्रीफकेस के अलावा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से  
सिन्धुश्री खुल्लार, प्रधान सचिव एवं आयुक्त

**TRANSPORT DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Delhi, the 1st July, 2003

No. 7(31)PA/Secy/STA/2000/409.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of the Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, having regard to clause (d) of the said sub-section (1) hereby issue the following directions to the State Transport Authority of Delhi, namely :—

The fares chargeable by the operators of the Taxis (Black & Yellow Top) in National Capital Territory of Delhi shall be as under :—

- (i) Taxis (Black & Yellow Top) = Rs. 13/- for First kilometer (upon downing the meter) and thereafter Rs. 7/- per Kilometer for every additional kilometer.
- (ii) Night charges = 25% of the fare (11.00 P.M. to 5.00 A.M.)
- (iii) Waiting charges = Rs. 20/- per hour or part thereof (subject to minimum of 15 minutes stay)
- (iv) Luggage charges = Rs. 10/- per piece except for shopping bags or a small attache case.

By Order and in the Name of  
the Lieutenant Governor of  
the National Capital Territory of Delhi

SINDHUSHREE KHULLAR, Pr. Secy. & Commissioner

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

( बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मैडिसन : दिल्ली )

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2003

फा. सं. 25/9/96-स्वा. एवं परि. क्र./2480/सं.बीएचएस/1/2002-दिल्ली.—बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मैडिसन, दिल्ली ने निम्नलिखित सदस्यों की सूची जिनका नाम धारा 24 के अन्तर्गत रजिस्टर में पंजीकृत किया जाता है, जो धारा-28 दिल्ली होम्योपैथिक एक्ट, 1956 के माध्यम से सर्व साधारण के सूचनार्थ किया जाता है। यह सूची पहली फरवरी, 2003 से 2 जून, 2003 तक संबंधित है।

क्र. सं.	नाम व पता	पिता/पति का नाम	योग्यता	आयु	किलिनिकल पता	रजिस्ट्रेशन सं. व तिथि
1.	डा. अग्रवाल मोनिका, 331/12-सी, स्ट्रीट नं. 2, राजगढ़ कालोनी, दिल्ली-31	पुत्री डा. एस. के. अग्रवाल	बीएचएमएस पूना	23	331/12-सी, स्टी. न. 2, राजगढ़ कालोनी, दिल्ली-31	बीएचएसडी/3031 20-3-2003
2.	डा. आनन्द नीति रमेश, ए-32, तुलसी एपा. सैक्टर-14, रोहिनी, दिल्ली-85	पुत्री श्री आर. सी. आनन्द	बीएचएमएस पूना	24	ए-32, तुलसी एपा. सैक्टर-14, रोहिनी, दिल्ली-85	बीएचएसडी/3035 13-5-2003
3.	डा. जैन हिमांशू, 9/56, कीर्ति नगर, नई दिल्ली, 15	पुत्र डा. ए. के. जैन	बीएचएमएस पूना	23	9/56, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	बीएचएसडी/3038 30-5-2003
4.	डा. मलहोत्रा भारती, जी-126, विकासपुरी, नई दिल्ली	पुत्री श्री एन. के. मलहोत्रा	बीएचएमएस पूना/वि.	25	जी-126, विकास पुरी, नई दिल्ली	बीएचएसडी/3037 22-5-2003